यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) के अवधि 04/2012 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, स.ले.प.अ., रेखा, स.ले.प.अ. एवं श्री खुशीराम, व.ले.प. द्वारा दिनांक 01.05.2017 से 04.05.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0.00	0.00	54.44	52.20	6.84	5.40	0.00	3.66
2015-16	0.00	0.00	53.38	53.26	4.54	4.25	0.00	.39
2016-17	0.00	0.00	55.46	55.18	16.04	15.89	0.00	.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य	बचत
2014-15	----------	NIL	-----	----------	
2015-16	RUSA	NIL	24.68	NIL	
2016-17	RUSA	NIL	87.29	NIL	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य की समेकित निधि द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 व 03/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विवादित स्थल पर निर्माणाधीन भवन पर रू. 260.50 लाख का अनियमित व्यय।

Special Plan Assistance (SPA) केन्द्र पोषित योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट के निर्मित भवन लागत रू. 495.58 लाख का कार्य का निष्पादन कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम द्वारा लेखापरीक्षा में किया जाना पाया गया। निष्पादित कार्य संबंधी निर्गत शासकीय आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत पाये गये-

(1) शासकीय दिशानिर्देशः- (i) विशेष प्रोजेक्ट को छोड़कर सामान्यतः प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की अवधि 01 वर्ष के अन्दर होना चाहिए।

(ii) प्रोजेक्ट की प्रकृति विकास परक होना चाहिए।

(iii) प्रोजेक्ट Audit Worthy with, monitor able physical Targets होना चाहिए।

(2) शासकीय आदेशः- दिनांक- 22.04.2016 के Directorate Higher Education द्वारा जारी निर्देश में पाया गया कि भूमि की उपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से गतिरोध उत्पन्न होता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशालय के अधिकारियों/शासन के अधिकारियों के संज्ञान में लाकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित तथा किसी भी दशा में आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। तथा अनावश्यक कार्य बन्द पाये जाने अथवा धीमी गति से कार्य होने की दशा में जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

(3) शासकीय रिपोर्टः- उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका वर्ष 2016-17 में पाया गया कि निर्मित भवन हेतु गंगोलीहाट महाविद्यालय के पास भूमि है तथा भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिस स्थल पर भवन निर्माण के लिये प्राक्कलन की तथा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, मूल साईट से भिन्न स्थल पर कार्य निर्माणाधीन पाया गया जिस पर लेखापरीक्षा तिथि तक रू. 260.50 लाख व्यय पाया गया। शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को मूल साइट गंगोलीहाट की रावलगांव पट्टी चयनित 3.762 हैक्टेयर भूमि के लिये धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तथा कार्य निष्पादन के लिये महाविद्यालय गंगोलीहाट एवं निर्माण एजेंसी के बीच MOU संबंधी अभिलेख पाया गया परंतु स्थल परिवर्तन हेतु स्थानीय जनता तथा प्रशासन के हस्तक्षेप का निर्माण एजेंसी द्वारा हवाला देकर

गंगोलीहाट के नये स्थल सिमलकोट में कार्य निर्माणाधीन बताया गया। इस प्रकार MOU तथा अनुश्रवण संबंधी अभिलेख निष्प्रभावी तथा अगतिमान पाया गया/अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि इस विषय पर निदेशालय उच्च शिक्षा का मत निर्माण एजेंसी से भिन्न था।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय प्रशासन का हस्तक्षेप बताया गया। आगे यह स्पष्ट किया गया कि नये स्थल पर निर्मित भवनों का कुर्सी क्षेत्रफल पूर्व स्थल के भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल के समान है, अतः प्राक्कलन पर होने वाला व्यय समान है तथा कार्य का विस्तृत पुनरीक्षित आगणन शीघ्र ही ग्राहक को प्रेषित कर दिया जायेगा।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि नये स्थल के लिये भवन निर्माण के प्राक्कलन नक्शे तथा अनुबंध प्रक्रिया नये स्थल के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए था, जिसे इकाई द्वारा शासकीय कार्य अपने अधिकार में लेकर मनमाने ढंग से निपटाया गया।

अतः शासकीय दिशानिर्देश/आदेश/रिपोर्ट (मिथ्या सूचना) का अनदेखी करना तथा अनुपालन न करने का प्रकरण के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- धनराशि रू. 3.97 लाख 'काशन मनी' छात्रों को वापस न करके अवरूद्ध रखा जाना।

'काशन मनी' एक प्रतिभूति राशि है, जो विद्यार्थीयों द्वारा महाविद्यालय को अचनाक छोडने पर, महाविद्यालय की पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की आंशिक क्षतिपूर्ति के उद्देश्यों से ली जाती है, जो विद्यार्थी अपने Dues को Clear कर लेते है, उनकों यह राशि वापस करने का प्रावधान है। निदेशक उच्च शिक्षा के जारी दिशा-निर्देशन में इस मद में संचित धनराशि से छात्रहित में पुस्तकें क्रय किए जाने के संबंध में पत्रांक डिग्री सेवा/14000-14069/2012-13, दिनांक 02 मार्च 2013 के पत्र से वापस की जाने वाली 'काशन मनी' के पश्चात, शेष धनराशि में से एक समय में 25% राशि प्राचार्य द्वारा गठित समिति की सहमति से पुस्तकें क्रय करने में उपयोग किया जा सकेगा।

कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट की 'काशन मनी' से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था जिसके कारण रू. 3.97 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई थी। वर्ष 2012 से लेकर लेखापरीक्षा तिथि तक जिन विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका था एवं वे महाविद्यालय छोड़ चुके थे उनकों उनकी 'काशन मनी' नहीं लौटाई गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यालय का निजी प्रागंण नहीं होने के कारण, छात्र संख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण भविष्य में इस मद से पुस्तकें क्रय कर ली जाएगी एवं प्रति वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर उन्हें अपनी Caution Money वापिस ले जाने हेतु आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि 'काशन मनी' विद्यार्थियों को राशि है, जिसकों वापस किया जाना आवश्यक है एवं वापस न किए जाने पर विद्यार्थियों को पुस्तकालय संबंधी सुविधा प्रदान करने हेतु पुस्तकें समय-समय पर क्रय की जानी चाहिए थी, जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः रू. 3.97 लाख की 'काशन मनी' अवरूद्ध रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- विभागीय उदासीनता के कारण रू. 2.28 लाख का लघु निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप नहीं कराया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली- 2008 के नियम 42(2)(ज) के अनुसार लोक निर्माण संगठन को सौपें गये मूल कार्य तथा मरम्मत/अनुरक्षण/रख-रखाव कार्य यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाना हो, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा इन नियमों एवं वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन के अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृत दी जायेगी तथा कार्य सम्पादन हेतु समय से धनराशियों उपलब्ध करायी जाये। <u>लोक निर्माण संगठन द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय</u>, ताकि कार्य निर्धारित समयावधि एवं प्राक्कलित धनराशि की सीमा में पूरा किया जाय ऐसी लोक निर्माण का गठन सुनिश्चित करेगें कि उनके नियम एवं प्रक्रियायें उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली- 2008 के अंसगत न हो।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय निर्माण हेतु रू. 50,000/-, वर्ष 2015-16 में स्टोर रूम के निर्माण हेतु रू. 80,000/- एवं वर्ष 2016-17 में स्टोर रूप निर्माण हेतु रू. 98,000/- के लागत से लघु निर्माण कार्य कराए गये। उक्त लघु निर्माण कार्यों (कुल धनराशि 50,000/- + 80,000 + 98,000 = 2,28,000/-) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लघु निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों में प्रतिस्पर्धा नहीं करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त लघु निर्माण कार्यों के Estimate (प्राक्कलन) निष्पादित कार्य समाग्री दर की पुष्टि लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप प्रमाण पत्र अंकित नहीं की गयी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप कार्य कराया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्क संगत नही पाया गया क्योंकि प्रतिस्पर्धा पर प्राप्त किया जाता तो कार्य पर आने वाले लागत शासकीय हित में मितव्ययी (Economical) होता, जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः रू. 2.28 लाख के लघु निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप नहीं कराये जाने तथा प्रतिस्पर्धा नहीं कराने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- धनराशि रू. 1,53,311/- पर **TDS (Tax deducted at Source)** की कटौती नहीं किया जाना।

As per provision of Income Tax Act 194-c & 194-I, any person paying income is responsible to deduct tax at source and need to deposit this tax within the time stipulated.

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ के रोकड़ बही की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इकाई द्वारा 07 बिलों के माध्यम से कुल धनराशि रू. 1,53,311/- का भुगतान विभिन्न मदों पर किया गया था। IT Act- 194-C & 194-I के अनुसार भुगतान करते समय उक्त बिलों से TDS की कटौती करनी थी। परन्तु उक्त भुगतान के सापेक्ष TDS की कटौती नहीं की गयी। परिणामस्वरूप इकाई द्वारा रू. 1,53,311/- की धनराशि पर TDS की कटौती नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि जिनसे कटौती नहीं की गयी है उनसे पत्राचार करके कटौती से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जायेगा या कटौती करने का प्रयास किया जाएगा। भविष्य में TDS कटौती करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि TDS की कटौती नहीं किये जाने के कारण शासकीय राजस्व की हानि हुई।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-**1- RUSA** खाते का रख-रखाव, **RUSA** के दिशानिर्देशों के अनुरूप न किया जाना।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के Guidelines के बिन्दु संक्य- 8 (General Norms) के अनुसार

(i) Institutions participating in the programme shall maintain a separate single account in name of RUSA, to be operated by the head of Institution and one representative of Institution. The account details will be shared with MHRD, and any subsequent change in account must be done consultation with ministry.

(ii) All receipt & expenditure under RUSA shall be debited & credited to RUSA Interest accrued if any on such an account shall be credited to RUSA.

(iii) No fund other than GOI releases and state's contribution should be bept. In RUSA bank account.

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट के RUSA से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच एवं चर्चा के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा RUSA के अंतर्गत जारी धनराशि का रख-रखाव विभागीय खाते में किया जा रहा है, जो कि RUSA के Guidelines के विरूद्ध है।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में जारी होने वाले अनुदान जो कि कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा।

अतः RUSA से संबंधित खाते के रख-रखाव में दिशानिर्देशों के पालन नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	STAN
प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
प्रथम लेखापरीक्षा			

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.